न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 50/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. वक्ताराम पुत्र वालाराम जाति सीरवी, निवासी हरियामाली, तहसील सोजत, जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक ~~.16.03.2022.~~ 22.03.2022

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा हरियामाली तहसील सोजत में वादी की खातेदार कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 644 रकबा 0.6100 हैक्टर एवं खसरा संख्या 645 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 हैक्टर किस्म बा0प्र0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वगतीया वल्द बालूराम कौम सीरवी की खातेदारी कब्जा काश्त की है। राजस्व रेकर्ड खतौनी बन्दोबस्त में स्पष्ट रूप से अंकित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2043 से 2046 में वगतीया वल्द बालूराम के स्थान पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नई चौसाला दर्ज करते समय वगतीया वल्द कालूराम कौम सीरवी दर्ज कर दिया गया, जो एक लिपिकीय त्रुटि है, जो सहवन से भूलवश हुई है। उक्त त्रुटि होने से आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में वगतीया पुत्र कालूराम के नाम से ही दर्ज चला आ रहा है। वादी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकले लेने पर जानकारी में आया कि जमाबंदी में वगतीया पुत्र कालूराम के नाम से दर्ज है। तब वादी ने पाली जिला कलेक्टर कार्यालय के रेकर्ड शाखा से राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर पूर्ण जानकारी हुई की जमाबंदी संवत 2043 से 2046 चौसाला बनते समय उक्त त्रुटि हुई है। जिन्हे दुरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। यदि उक्त हुई त्रुटि को दुरस्त नही किये जाने से वादी अपने जायज हक एवं अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद उक्त रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करवाने हेतु तहसीलदार एवं पटवारी हल्का से संपर्क करने पर तहसीलदार द्वारा पुरानी त्रुटि होने से नियमित वाद पेश करने की हिदायत दी गई। जिससे व्यथित होकर वादी ने यह वाद बाबत वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से खातेदारी हक की घोषणा करवाकर रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु पेश किया है। बिनायदावा तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त रेकर्ड में त्रुटि करने से तथा दस्तावेज की नकले दिनांक 03.09.2020 को प्राप्त होने के बाद तहसीलदार, सोजत द्वारा दिनांक 25.02.2021 को नियमित वाद पेश करने की हिदायत देने पर बिनायदावा उत्पन्न हुआ। जो यह वाद अंदर म्याद पेश है। वादस्थ सरहद मौजा हरियामाली तहसील सोजत में स्थित होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। इस प्रकार अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि सरहद मौजा हरियामाली के खसरा संख्या 644 रकबा 0.6100 हैक्टर एवं खसरा संख्या 645 रकबा 0.1100 हैक्टर बा0अ0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 07/02/2022 को पेश किया कि वादस्थ कृषि भूमि मौजा हरियामाली में स्थित होना स्वीकार किया है। वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने का अंकन किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को आज दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादी का नाम व वल्दियत सही रूप से वक्ताराम पुत्र वालाराम जिसकी पुष्टि दस्तावेज यथा आधार कार्ड संख्या 513191933397, आयकर कार्ड सं0 AAVPV7952R, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, चुनाव पहिचान–पत्र सं0 ALR/0742601 तथा भामाशाह कार्ड आदि से होती है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत से कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद, जबाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन का बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में आधार कार्ड संख्या 513191933397, आयकर कार्ड सं0 AAVPV7952R, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, चुनाव पहिचान–पत्र सं0 ALR/0742601 तथा भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज भू प्रबन्धन विभाग खतौनी बन्दोबस्त में वादी के पिता का नाम बालुराम दर्ज शुदा है तथा वगतीया नाम भी समानजनक प्रतित नही होता है। वादी की वल्दियत में पश्चातवर्ती जमाबन्दीया में बालुराम के स्थान पर कालुराम सद्भाविक भूल वश दर्ज होना साबित होता है जबकि दस्तावेजी साक्ष्यो वादी के पिता का नाम वालाराम होने की पुष्टि होती है। वस्तुतः प्रार्थी अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का नाम सही रूप से वगतिया पुत्र कालुराम से स्थान पर दुरूस्त रूप से वक्ताराम पुत्र वालाराम किया जाना उचित समझते है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाना तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा हरियामाली तहसील सोजत में वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 644 रकबा 0.6100 हैक्टर एवं खसरा संख्या 645 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 हैक्टर की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादी का नाम बतौर खातेदार वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक ~~16/3/2022~~ 22.03.2022.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
वक्ताराम पुत्र श्री वालाराम जी जाति सीरवी, निवासी हरियामाली, तहसील सोजत, जिला पाली।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 50/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि ग्राम हरियामाली तहसील सोजत में वादी की खातेदार कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 644 रकबा 0.6100 हैक्टर एवं खसरा संख्या 645 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7200 हैक्टर की कृषि भूमियां वादी व इनके भाईयो के संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादी का नाम बतौर खातेदार वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वगतीया पुत्र कालूराम के स्थान पर वक्ताराम पुत्र वालाराम के नाम से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –

मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ~~16.03.2022~~ 22.03.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.